

तारीख
हुक्म

23.6.22

प्रजावकी देई हुई। प्राथीगण वकील उप.।
 वि.प्राथीगण के सम्मन पूर्व में लाहिल थुडा
 प्राप्त होने के बावजूद की उसी और से काई
 उप. नहीं हुआ मत. उनके विरुद्ध एग लरफा
 कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। प्राथीगण
 वकील से उमर आवेदन पर क्लर सुनने का
 निवेदन किया। प्राथीगण वकील की क्लर (सी)
 गयी प्रजावकी का अध्यापन अवलोकन एक
 क्लर पर भरोसा किया गया। प्रजावकी के सम्मन
 इलाक़े में आधार पर स्थल होता है कि
 प्राथीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।
 अतः नैरवध कड़ी निर्णय अमल से
 लिखा जाकर शामिल प्रजावकी किया जाता है।
 प्रजावकी फैलन शुमार हो कर इतिहास उपलब्ध हो
 संख्या एके कद ही।

Blaw

के 1505 न्यायमिष्ठ मय के विधि न्यायालय विभाग
 कोर्ट में
 कि न्याय प्रकाश मय न्यायालय में

1505 न्यायमिष्ठ मय के विधि न्यायालय विभाग
 कोर्ट में
 कि न्याय प्रकाश मय न्यायालय में

विभाग न्यायालय में न्याय प्रकाश मय न्यायालय में
 कोर्ट में

विभाग न्यायालय में न्याय प्रकाश मय न्यायालय में
 कोर्ट में

विभाग न्यायालय में न्याय प्रकाश मय न्यायालय में
 कोर्ट में

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>1. सेनाराम 2. जीयाराम 3. दुर्गाराम 4. पेमी पत्नी पेमाराम 5. मोटाराम पि. धुडाराम 6. दुर्गाराम 9. नेनाराम पि. मगाराम 10. रूखमौ पत्नी मगाराम 11. बबुराम 12. खीयाराम 13. रायमल 14. हेमाराम 15. नीम्बाराम 16. आईदान पि. गोमाराम 17. भीखाराम पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण 1. सेनाराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी गंगासरा 2. वागाराम पुत्र उमेदाराम 3. बाबु 4. हरजी पि. भोमाराम 5. कोजा 6. खरथा पि. लाला 7. पनाराम 8. जगराम 9. मोटाराम 10. जोगाराम पि. मदरूपाराम 11. पेमाराम पुत्र मगाराम 12. जोशीराम पुत्र लाभुराम जाति कुम्हार निवासी गंगासरा 13. पुनमाराम 14. पुरखाराम 15. मदाराम 16. राउराम पि. दोलाराम जाति कुम्हार निवासी कारटिया तहसील सेड़वा। 17. पोकरराम 18. राउराम पि. पेमाराम जाति कुम्हार निवासी गौड़ा 19. चुतराराम पुत्र सादाराम जाति मेघवाल निवासी कारटिया तहसील सेड़वा</p>
--	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 170/2018 दिनांक : 23.06.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के मौजा गंगासरा के खेत खसरा संख्या 538 रकबा 08.04 बीघा, खसरा संख्या 683 रकबा 0.03 बीघा व खसरा संख्या 684 रकबा 271.05 बीघा कुल रकबा 279.12 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 866-70
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण मदरूपाराम पुत्र पेमाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण सेनाराम पुत्र आदुराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

(रामजी भीई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

दिनांक 06/07/22

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

सं. 170/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मदरूपाराम वगैरा बनाम सेनाराम वगैरा

अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
वकील - जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक - 23.06.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के मौजा गंगासरा के खेत खसरा संख्या 538 रकबा 08.04 बीघा, खसरा संख्या 683 रकबा 0.03 बीघा व खसरा संख्या 684 रकबा 271.05 बीघा कुल रकबा 279.12 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र गंगासरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के मौजा गंगासरा के खेत खसरा संख्या 538 रकबा 08.04 बीघा, खसरा संख्या 683 रकबा 0.03 बीघा व खसरा संख्या 684 रकबा 271.05 बीघा कुल रकबा 279.12 बीघा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा